

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
कार्यालय महाप्रबंधक
शासकीय अफीम एवं क्षरोद कारखाना
गाजीपुर (उ०प्र०)-233001

फा० सं० 2/17/भवन/2014
प्रति

दिनांक 22.06.2018

नोटिस बोर्ड/खजाना अनुभाग

महोदय,

विषय:-209 नये एवं 35 पुराने आवासों जिसमें का० नं० 2 के टाईप I,II,III,IV,Vआवासों के(सिविल) मरम्मत एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में ।
महाप्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षरोद कारखाना, गाजीपुर द्वारा निम्न कार्य / सेवाओं हेतु इस प्रतिष्ठान में पंजीकृत फर्मों से बन्द लिफाफे में दर उल्लेखित करने हेतु कोटेशन आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 19.07.2018 तक 4.00. बजे तक दिया जा सकता है।
केवल जी० एस० टी० एन० पोर्टल पर जी० एस० टी० में रजिस्टर्ड फर्म ही निविदा डालने के पात्र होंगे। ,
उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कोटेशन दिनांक 19.07.2018 को 4.30 बजे खोली जायेगी ।

क्र०	कार्य का विवरण -	मात्रा / संख्या
1	2	3
1	सभी भवनों के सीढ़ी एवं सड़क का एक दिन के अन्तर पर झाड़ू लगाना एवं साफ करना ।	
2	भवनों के चारों तरफ लगी सभी प्रकार के झाड़ियों व गन्दगी की सफाई एवं नालियों को साफ करना ।	
3	बन्द नाली, मुख्य सुराग, सीवर पाईप इत्यादि की सफाई एवं मरम्मत करना ।	
4	भवनों से निकलने वाले पाईपों की सफाई मरम्मत एवं निकले हुए मलबे को फेंकना ।	
5	छतों की सफाई एवं उसके ऊपर उगे घास एवं जंगली पेड़ों को साफ करना ।	
6	टूटे दरवाजे, खिड़कियों एवं फाटक इत्यादि की मरम्मत तथा आवश्यकतानुसार वेल्लिंग का कार्य के साथ-2 टूटे शीशे, पेन्स बदलना । स्कू कटिया, पोटिन इत्यादि छोटे सामानों को छोड़ कर अन्य सभी सामान विभाग द्वारा दिया जाएगा जिसे सामान्य भण्डार से लेना/देना होगा ।	
7	(अ) फर्स, दीवार व छतों के टूट-फूट का मरम्मत करना । सिमेन्ट, बालू गिटटी विभाग द्वारा दिया जायेगा जिसे सामान्य भण्डार से प्राप्त करना होगा । (ब) सभी प्रकार के औजार की ब्यवस्था फर्म द्वारा किया जायेगा । (स) विभाग द्वारा दी जाने वाली सामग्री की मॉग फर्म द्वारा किया जायेगा ।	
8	सड़कों एवं सोलिंग से निकली घास,झाड़ी इत्यादि की सफाई एवं मरम्मत ।	
9	परिसर में पड़े किसी प्रकार के मलवा को परिसर के बाहर फेंकना ।	
10	कूड़े दानों का कचरा सप्ताह में कम से कम एक बार निश्चित रूप से फेंकना ।	
11	आवासीय क्षेत्र में मरे हुए कुत्तों या अन्य जानवरों को परिसर से बाहर फेंकना ।	
12	आवश्यकतानुसार प्रभारी अभियन्ता के निर्देशानुसार जल जमाव व नालियों में कीट नाशक दवाओं इत्यादि का छिड़काव करना ।	
13	कालोनियों में स्थापित सेप्टिक टैंक व सोकपिट को चोकिंग होने पर उसे ठीक करना एवं यदि उक्त टैंक भर जाता है और चोकिंग होती है तो दोनों टैंकों की सफाई करना एवं मलवा को कारखाने के परिसर से बाहर निर्देशानुसार स्थान पर फेंकना ।	
14	जनहित में आवश्यकतानुसार प्रभारी अभियन्ता के निर्देशानुसार अन्य कार्य का सम्पादन सुनिश्चित करना ।	
	अन्य शर्तें 1-कार्य विशिष्टियों के अनुसार होगा । 2-कार्य समय से पूरा करना होगा । 3-प्रतिदिन शिकायत पंजिका (जो कि प्रतिष्ठान के ऊर्जा घर में उपलब्ध होगी) का निरीक्षण करना तथा उसके छः घण्टों के अन्दर कार्यवाही करना । 4-परिसर में झाड़ू लगाना, सफाई कार्य, नालियों की सफाई इत्यादि को प्रत्येक ब्लाक के कम से कम एक आवासी से हस्ताक्षर कराना होगा ।	
		कुल जोड़
		एक कार्य

उपरोक्त कार्य को एक कार्य मानते हुए दर प्रति माह की दर से स्वीकार किया जायेगा जिसकी वैधता एक वर्ष होगी ।
अवश्यकता पड़ने पर फर्म को सूचित करने के उपरान्त अवधि बढ़ाया जा सकता है जिसका अधिकतम समय तीन माह होगी ।

अन्य शर्तें

- 1 बिल,भुगतान हेतु तिमाही प्रस्तुत की जानी वॉछनीय है ।
- 2 आवश्यकता पड़ने पर टेलीफोनिक सन्देश पर कार्य अधिक से अधिक 24 घण्टे के अन्दर करना होगा ।
- 3 समय से कार्य पूर्ण न होने पर रू० 200.00 प्रति दिन बिल से कटौती होगी ।

P.T.O

नोट

- (i) कोटेशन कार्यालय द्वारा जारी "कोटेशन प्रोफार्मा" के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दर के साथ प्रोफार्मा में प्रत्येक आइटम की कुल कीमत (कालम नं० 6) एवं अन्त में सम्पूर्ण कार्य की कुल कीमत को अंको एवं शब्दों में लिखना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। कोटेशन में किसी तरह की ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी।
- (ii) कोटेशन दाता का हस्ताक्षर, नाम तथा फर्म की सील एवं पूरा पता न होने पर कोटेशन मान्य नहीं होगा।
- (iii) उपरोक्त कार्य को कार्य आदेश प्राप्ति की तिथि से उक्त शर्त के अनुसार पूर्ण करना होगा अन्यथा कार्य आदेश में वर्णित नियम व शर्तों के अनुसार दंड देय होगा। कार्य हेतु वास्तविक अवधि/ तारीख, कार्य आदेश में दी जायेगी। कार्य हेतु अधिक समय की मांग बिना समुचित कारण के स्वीकार नहीं होगी तथा इस संबंध में महाप्रबंधक का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- (iv) **अपंजीकृत फर्म द्वारा कोटेशन के साथ रू० 6000 का एफडीआर/सीडीआर के रूप में अग्रिम धनराशि प्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजापुर के नाम टेन्डर प्रति के साथ जमा करना होगा।** जमानत राशि निविदा के साथ न होने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी अन्य कोटेशन के संदर्भ में पूर्व में जमा बिड सैक्योरिटी/जमानत राशि को इस कोटेशन हेतु समायोजन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। असफल बिडर्स को उनकी जमानत राशि कार्य आदेश जारी होने के उपरान्त वापर कर दी जाएगी।
- (v) फर्मों द्वारा दिये गये दर की वैधता खोले जाने के तिथि/दिन से 90 (नब्बे) दिनों की होगी।
- (vi) यदि दर दाता विभाग द्वारा दिये गए समय सीमा में कार्य करने को राजी नहीं होते हैं या दर दाता द्वारा इस संबंध में ज्यादा समय अवधि की मांग की जाती है उन्हें कार्य करने हेतु अनिच्छुक समझा जाएगा।
- (vii) कार्य में अयुक्तियुक्त (Unreasonable) देरी होने से कार्य आदेश /कार्य पूर्ण करने से पूर्व किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। देरी से (निर्धारित या बढी हुई समय सीमा के बाद) कार्य करने पर निविदा कर्ता को कार्य आदेश में दिये गए नियमों के अनुसार जुर्माना देना होगा।
- (viii) दर दाता /निविदा धारक के द्वारा अन्य कोई शर्तें मान्य नहीं होगी।
- (ix) महाप्रबंधक को किसी या सभी निविदाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के तथा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूरा अधिकार होगा।
- (x) महा प्रबंधक को उपरोक्त किसी भी शर्त/शर्तों के शिथिल करने का अधिकार होगा।
- (xi) दर दाता द्वारा दिया गया दर अन्तिम एवं अ-परकाम्य (नान-निगोसियेबुल) होगा तथा दर आदि को कम करने हेतु किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जायेगा न ही दर परिवर्तन हेतु किसी तरह के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।
- (xii) यह प्रतिष्ठान केन्द्रीय नियम (सेण्ट्रल रूम) सं० 195/1957 के अन्तर्गत पंजीकृत है एवं प्रतिष्ठान का टिन नं० 09683900013 एवं जी० एस० टी० नं० **09AAAGG0195B1ZS** gÅ fdl h Hkh 'kr7 dks f' kffky dks f' kffky djus dk vf/kdkj] mi ; Ør dkj .k gkus i j egki zll/kd dks gksxA
- (xiii) पैन कार्ड की छाया प्रति कोटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
संलग्नक :- कोटेशन प्रोफार्मा

भवदीय

प्रशासनिक अधिकारी

कोटेशन प्रोफार्मा

सेवा में,

महाप्रबंधक

शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना

गाजीपुर

महोदय,

निम्नलिखित कार्य हेतु आपके कार्यालय द्वारा जारी कोटेशन पत्र फा0 सं0 2/17/भवन/2014. दिनांक 22.06.2018 के संदर्भ में मेरा दर निम्नवत है।

(अ) दर तथा आइटम वार विवरण

क्र.सं.	विषय:-209 नये एवं 35 पुराने आवासों जिसमें का0 नं0 2 के टाईप I,II,III,IV,V आवासों के (सिविल) मरम्मत एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में।	मात्रा/संख्या	दर /यूनिट	कर, यदि कोई	कुल कीमत
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	सभी भवनों के सीढ़ी एवं सड़क का एक दिन के अन्तर पर झाड़ू लगाना एवं साफ करना।				
2	भवनों के चारों तरफ लगी सभी प्रकार के झाड़ियों व गन्दगी की सफाई एवं नालियों को साफ करना।				
3	बन्द नाली, मुख्य सुराग, सीवर पाईप इत्यादि की सफाई एवं मरम्मत करना।				
4	भवनों से निकलने वाले पाईपों की सफाई मरम्मत एवं निकले हुए मलबे को फेंकना।				
5	छतों की सफाई एवं उसके ऊपर उगे घास एवं जंगली पेड़ों को साफ करना।				
6	टूटे दरवाजे, खिड़कियों एवं फाटक इत्यादि की मरम्मत तथा आवश्यकतानुसार वेल्डिंग का कार्य के साथ-2 टूटे शीशे, पेन्स बदलना। स्कू कटिया, पोटिन इत्यादि छोटे सामानों को छोड़ कर अन्य सभी सामान विभाग द्वारा दिया जाएगा जिसे सामान्य भण्डार से लेना/देना होगा।				
7	(अ) फर्स, दीवार व छतों के टूट-फूट का मरम्मत करना। सिमेन्ट, बालू गिटटी विभाग द्वारा दिया जायेगा जिसे सामान्य भण्डार से प्राप्त करना होगा। (ब) सभी प्रकार के औजार की ब्यवस्था फर्म द्वारा किया जायेगा। (स) विभाग द्वारा दी जाने वाली सामग्री की मॉग फर्म द्वारा किया जायेगा।				
8	सड़कों एवं सोलिंग से निकली घास,झाड़ी इत्यादि की सफाई एवं मरम्मत।				
9	परिसर में पड़े किसी प्रकार के मलवा को परिसर के बाहर फेंकना।				
10	कूड़े दानों का कचरा सप्ताह में कम से कम एक बार निश्चित रूप से फेंकना।				
11	आवासीय क्षेत्र में मरे हुए कुत्तों या अन्य जानवरों को परिसर से बाहर फेंकना।				
12	आवश्यकतानुसार प्रभारी अभियन्ता के निर्देशानुसार जल जमाव व नालियों में कीट नाशक दवाओं इत्यादि का छिड़काव करना।				
13	कालोनियों में स्थापित सेप्टिक टैंक व सोकपिट को चोकिंग होने पर उसे ठीक करना एवं यदि उक्त टैंक भर जाता है और चोकिंग होती है तो दोनों टैंकों की सफाई करना एवं मलवा को कारखाने के परिसर से बाहर निर्देशानुसार स्थान पर फेंकना।				
14	जनहित में आवश्यकतानुसार प्रभारी अभियन्ता के निर्देशानुसार अन्य कार्य का सम्पादन सुनिश्चित करना। अन्य शर्तें 1-कार्य विशिष्टियों के अनुसार होगा। 2-कार्य समय से पूरा करना होगा। 3-प्रतिदिन शिकायत पंजिका (जो कि प्रतिष्ठान के ऊर्जा घर में उपलब्ध होगी) का निरीक्षण करना तथा उसके छः घण्टों के अन्दर कार्यवाही करना। 4-परिसर में झाड़ू लगाना, सफाई कार्य, नालियों की सफाई इत्यादि को प्रत्येक ब्लाक के कम से कम				
	कुल जोड़	एक कर्ष			

महा योग शब्दों में (रु.....मात्र.)

अन्य शर्तें

- 1 बिलभुगतान हेतु प्रत्येक दो माह के कार्य सत्यापन पर प्रस्तुत की जानी वॉछनीय है।
- 2 आवश्यकता पड़ने पर टेलीफोनिक सन्देश पर कार्य अधिक से अधिक 48 घण्टे के अन्दर करना होगा।
- 3 समय से कार्य पूर्ण न होने पर रु0 200.00 प्रति दिन बिल से कटौती होगी।
- 4 प्रत्येक कालोनी के निस्तारण हेतु अलग-अलग श्रम श्रक्ति लगाना वॉछनीय होगा व उसकी सूची प्रतिष्ठान में उपलब्ध कराना होगा।

(ब) नियम व शर्तें

- (i) मैं उपरोक्त कार्य को, कार्य आदेश में दी गई समय सीमा के अंदर पूर्ण करूंगा। देरी से (निर्धारित या बढी हुई समय सीमा के बाद) कार्य करने पर कार्य आदेश में दिये गए नियमों व शर्तों के अनुसार मुझे जुर्माना देय होगा।
- (ii) अपंजीकृत फर्म कोटेशन के साथ रु0 6000 का एफडीआर/सीडीआर दिनांक रु0 जो कि प्रबंधक, अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर के पक्ष में देय है, टेन्डर प्रति के साथ जमा कर रहा हूं। मुझे उपरोक्त धनराशि, कार्य के संतापजनक संपन्न होने के बाद इस संबंध में पत्र प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के अंदर वापस किया जाए। (लागू होने पर)
- (iii) मेरे द्वारा दिये गये दर की वैधता निविदा खोले जाने के तिथि/दिन से 90 (नब्बे) दिनों की होगी।
- (iv) मेरे द्वारा कार्य मे अयुक्तियुक्त (Unreasonable) देरी होने से कार्य आदेश, कार्य पूर्ण करने से पूर्व किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
- (v) मेरे द्वारा अन्य कोई शर्तें नहीं दी जा रही है।

(क)

भवदीय

स्थान :-

दिनांक :-

(हस्ताक्षर)
(फर्म की सील)
(फर्म का पूरा नाम व पता)

- (i) मेरे द्वारा दर की सारणी (अ) के क्रम संख्या 1 से 6 तक का सभी निविष्टियों को पूर्ण रूप से भरी गई है।
- (ii) मेरे द्वारा निविदा, बीजक एवं मेरे द्वारा किया गया पत्राचार के प्रत्येक प्रति के हस्ताक्षर में भिन्नता नहीं पाई जाएगी अगर भिन्नता पाई जाती है या बीजक पर रसीदी टिकट नहीं लगाई जाती है तो समय से भुगतान न होने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊँगा।
- (iii) मेरे द्वारा कुल कीमत एवं महा योग शब्दों में अंकित किया गया है।

स्थान :-

दिनांक :- (ख)

(हस्ताक्षर)
(फर्म की सील)
(फर्म का पूरा नाम व पता)

घोषणा

मैं श्री निविदा सं० दिनांक.....

सभी नियमों को भलीभाँति जान लिया है एवं उसका अनुपालन करता हूँ। यदि निविदा में कोई त्रुटि या अनियमितार्यें होंगी या निविदा पूर्ण रूप से भरी नहीं पाई जाती है तो मेरे निविदा

को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महाप्रबंधक, शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर को होगा और इस बारे में उनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

मेरे द्वारा निविदा फार्म के बिन्दु क, ख एवं ग पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाई गयी है।

स्थान :-

दिनांक :- (ग)

(हस्ताक्षर)
(फर्म की सील)
(फर्म का पूरा नाम व पता)